तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहीदा व अन्य बनाम मुनीर खॉ व अन्य अपील संख्या जीसीएमएस 2025 / 865	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन रहा है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य आपस में समझाईश तथा लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब अपीलार्थीगण उपरोक्त अपील को आगे चलाना नही चाहते है एवं अब उक्त अपील को चलाने हेतु कोई वादकारण शेष नही है, जिस कारण से अपीलार्थीगण अपनी उक्त अपील को विड्रो करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विड्रो के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को विड्रो किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाह रहे है, तो ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही हाेता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो कर लिये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	